कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

क्र. 9166

दिनांक 20.12.2018

–संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण–पत्र–

1. प्रमाणित किया जाता है कि जिले **बड़वानी** के ग्राम **फुन्डरियापानी** के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड पाटी के कक्ष क्रमांक **104ए, 106 एवं 108** रकबा **3.60** हेक्टेयर वनभूमि जो म.प्र. **ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण** परियोजना के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चूकी है।

   अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि **म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास** प्राधिकरण परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल रकबा **3.60** हेक्टेयर वनभूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की चुकी है। अथवा/यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है। साथ ही जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र **3.60** हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था।
4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है।

कलेक्टर जिला बड़वानी
अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति

Scanned by CamScanner